सत्यमेव जयते

No 1/5/2017-समन्वय.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

छठा तल, 'बी' विगं, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
दिनांकः 19 जून, 2017

सेवा में,

1. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष,
2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष,
3. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य,
4. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, माननीय सदस्य,
5. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्य,

विषयः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दिनांक 30.5..2017 को 12:00 बजे सम्पन्न 96वीं बैठक मे हुइ चर्चा का कार्यवृत्त

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय का उल्लेख करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग की 96वीं बैठक आयोग के सम्मेलन कक्ष, लोकनायक भवन, नई दिल्ली मे दिनांक 30.5..2017 को 12:00 बजे सपन्न हुई थी। बैठक की अध्यक्षता श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई। बैठक मे हुई चर्चा का कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं अभिलेख हेतु संलग्न है।

भवदीय,

के०डी० बंसोर

(के.डी. बंसोर)श्रीमती
निदेशक

96वीं बैठक की कार्यवृत की एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि बैठक मे लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध मे जानकारी प्रत्येक संबधित एकक/कार्यालय द्वारा दिनांक 3.7.2017 तक अवश्य ही समन्वय एकक को भेज दी जाए।

1. निदेशक (अनुसंधान एकक–III & IV)
2. उप सचिव (अनुसंधान एकक– I & II)
3. अवर सचिव (समन्वय एवं अनुसंधान एकक– IV)
4. सहायक निदेशक (प्रशा. एवं अनुसधान एकक– III)/ सहायक निदेशक, (राजभाषा एवं अनुसंधान एकक–I & II)

प्रतिलिपिः 96वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषितः

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. माननीय सदस्य (श्री एच.के.डी) के निजी सहायक
4. माननीय सदस्य (श्री एच.सी.वी) के निजी सचिव
5. माननीय सदस्य (श्रीमती एम.सी.आई) के निजी सहायक
6. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
7. संयुक्त सचिव के.निजी सहायक
8. निदेशक/सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/भुवनेश्वर/जयपुर/रायपुर/रांची/शिलांग।
9. आयोग की एनआईसी वेबसाइट पर डालने हेतु।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 96वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त।

(फाईल सं. 1/5/2017–समन्वय)

दिनांक : 30.5.2017 समय : 12 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

सहभागियों की सूची :

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य
3. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, सदस्य
4. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, सदस्य
5. श्री राघव चंद्रा, सचिव
6. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
7. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक
8. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
9. श्री एस.पी. मीना, सहायक निदेशक
10. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक

बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

कार्यसूची मद सं0 1	आदिवासी सरकार से बन्ध्यकरण (sterilization)अभिगमन से इन्कार करने वाले 1979 के आदेश को भंग कराना चाहते है के शीर्षक से इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली दिनांक 24.4.2017 में प्रकाशित समाचार।
Agenda Item No. 1	News item appeared in Indian Express, Delhi dated 24.4.17 caption 'Tribals want govt to scrap 1979 order denying sterilisation access'

1.1 इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 24.4.2017 में समाचार प्रकाशित हुआ कि छब्बीस वर्षीया रानीचंद बैगा नामक अनुसूचित जनजाति महिला जिसका विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया था। और एक जनजाति मे जहॉ नॉन

15.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सर्जिकल कन्ट्रेक्चर अभी भी अज्ञात है, उनके आठ बच्चे हुए और जिनमे से दो बीमारी के कारण मर गए। उनका अचनकमा बाघ अभ्यारण्य के कोर क्षेत्र में एक कमरे का मकान है, उनका एक माह का बच्चा भूखा है, और वह उसके लालन पालन के लिए संघर्ष रत हैं।

समाचार पत्र मे आगे उल्लिखित किया गया है कि, श्रीमती रानीचंद और जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) के दस अन्य बैगा परिवारों के सदस्य जो मध्य प्रदेश द्वारा पारित 38 वर्ष पुराने आदेश को चुनौती दे रहे है। जो उन्हे बन्ध्यकरण कराने से रोकता है।

1.2 आयोग ने इस प्रकाशित समाचार पर संज्ञान लिया तथा दिनांक 17.5.2017 को मुख्य सचिव, छत्तीसगढ सरकार एवं सम्बन्धित विभागो से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

1.3 आयोग ने प्रकरण पर विचार किया तथा निर्देश दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से बैगा (PVTG) समुदाय का गत दो जनगणना का जनसांख्यिकीय रूझान तथा शैक्षिणक स्तर की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई जाए। तदोपरांत, इस विषय पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ चर्चा के लिए आयोग में बैठक बुलाई जाए।

कार्यसूची मद सं0 2 **Agenda Note Item No. II**	सामान्य रूप से एक स्थान अथवा एक क्षेत्र से आने वाले उम्मीदवारों को समूह ग और घ पदों मे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडा वर्गो से उम्मीदवारो की भर्ती पर दिए गए नीति की समीक्षा के संबंध में। Review of the instructions on reservation policy on recruitment of candidates from Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in Group C and Group D posts normally attracting candidates from a locality or a region – regarding.

2.1 कार्मिक, लोक शिकायात और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रक्षिण विभाग ने कार्यलय ज्ञापन संख्या 36017/1/2004–स्था॰ (आर) दिनांक 25.4.2017 द्वारा अपने समसंख्यक का.ज्ञा. दिनांक 05.07.2005 को संदर्भित किया है जिसमे 2001 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर राज्यो/ संघ शासित क्षेत्रों मे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडा वर्गो के लिए आरक्षण का प्रतिशत जारी किया गया था। का.ज्ञा. दिनांक 05.07.2005 के अनुसार, 35 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में से अरूणाचल प्रदेश तथा नागालैंड

15.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राज्य एवं लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र के लिए के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कोई भी आरक्षण निर्धारित नहीं है। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यो एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों, चण्डीगढ, दामन एवं दीयु, दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्रों मे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की प्रतिशतता तथा शेष राज्यो एवं संघ शासित क्षेत्रो मे 2 से 24 प्रतिशत के बीच निर्धारित की गई है।

2.2 साथ ही, यह बताया गया है कि माननीय अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संसदीय समिति की दिनांक 29.03.2017 को बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ, उपरोक्त कथित अनुदेशों पर चर्चा की। माननीय समिति ने अवलोकन किया कि क्योंकि कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए प्रतिशतता 27 प्रतिशत से कम रखी गई थी अथवा कुछ मामलों में नहीं दी गई थी, यह सरकारी नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाली सरकारी नीति के अनुसरण में नहीं थी। इसलिए, माननीय समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मुद्दे की जांच की जाए और का.ज्ञा. दिनांक 05.07.2005 की समीक्षा की जाए तथा संशोधन किया जाए ताकि सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में, सामान्य रूप से एक स्थान अथवा एक क्षेत्र से आने वाले उम्मीदवारों में समूह 'ग' और 'घ' पदों में अन्य पिछड़ा वर्गों को उनके 27 प्रतिशत का वांछित प्रतिनिधित्व मिल सके।

2.3 इस संबंध में, यह बताया गया है कि स्थानीय क्षेत्र से आने वाले लोगों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए समूह ग और समूह घ पदों में आरक्षण की प्रतिशतता वर्ष 1950 में एक राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार निर्धारित की गई थी। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण एक राज्य से दूसरे राज्य का अलग–अलग होता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8.9.1993 द्वारा शुरू हुआ। डीओपीटी के का.ज्ञा. दिनांक 29.12.1993 द्वारा पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया। इंदरा साहनी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की प्रतिशतता अधिकतम 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

2.4 माननीय अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संसदीय समिति के वर्तमान निर्देशों को देखते हुए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टिप्पणियों को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध

15.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

किया है ताकि इस मुद्दे की जांच की जा सके और माननीय अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संसदीय समिति को इससे अवगत कराया जा सके।

2.5 प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद, आयोग ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के वर्तमान आरक्षण (जैसा कि डी.ओ.पी.टी के का.ज्ञा. दिनांक 05.07.2005 मे उल्लिखित है) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर आरक्षण का पुनर्निधारण भी किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद
Any other items with permission of Chair

कार्यसूची मद सं0 1	छत्तीसगढ़, उडीसा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की अनुसूचित जनजातियो की सूची में समुदायों का समावेशन/संशोधन करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव
Agenda Note Item No. I	Proposal from Ministry of Tribal Affairs regarding inclusion in/ modification of communitties in list of STs of the States of Chhattisgarh, Odisha and Uttar Pradesh

1.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अ•शा• पत्र संख्या 12026/11/2016–सी एण्ड़ एल एम दिनांक 12.5.2017 से छत्तीसगढ़, उडीसा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की अनुसूचित जनजातियो की सूची मे समुदायो का समावेशन/संशोधन करने हेतु प्रस्ताव पर आयोग की टिप्पणी के लिए भेजा।

1.2 उपरोक्त प्रस्ताव को देखने पर यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों के सम्बन्धित प्रस्ताव आयोग को प्राप्त नही हुए हैं। अतः आयोग ने पत्र दिनांक 22.5.2017 द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने को कहा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पत्र दिनांक 25.5.2017 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची मे निम्नलिखित समुदायो का समावेशन/संशोधन हेतु सम्बन्धित कागजात एवं दस्तावेज आयोग के प्रतिनिधि को उपलब्ध कराए।

15.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

1 गदबा (हिन्दी सस्करण मे संशोधन)
Gadba (change/modification in Hindi Version)

2 कोड़ाकू
Kodaku

3 कोंद (कोंध का हिन्दी प्रकार)
Kond (Hindi variant of Kondh)

4 नगवंशी (हिन्दी सस्करण मे संशोधन)
Nagawanshi (change/modification in Hindi version)

5 पंडो (देवनागरी सस्करण मे समावेशन)
Pando (inclusion of Devanagari variants)

6 भरिया (हिन्दी सस्करण मे संशोधन)
Bharia (rectification in Hindi version)

7 गोंड (देवनागरी सस्करण मे समावेशन)
Gond (inclusion of variant Devanagari version)

1.3 "कुई कंधा" समुदाय को उड़ीसा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची मे शामिल करने के सम्बध मे, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पत्र दिनांक 25.5.2017 द्वारा आयोग को सूचित किया कि उनके द्वारा गलती से उल्लेख कर दिया गया जिसके ऊपर विचार न किया जाए।

1.4 उत्तर प्रदेश राज्य के नवसृजित जनपदों संतकबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संतरविदास नगर में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मलित किए जाने के संबंध में, दिनांक 26.5.2017 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आयोग के प्रतिनिधि को सम्बन्धित कागजात एवं दस्तावेज उपलब्ध कराए।

1.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर आयोग ने विचार किया तथा यह पाया कि प्रस्तावो मे छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की अनुसूचित जनजातियो की सूची मे समावेशन/निष्काशन तथा संशोधन का मामला है। इसलिए आयोग प्रत्येक समावेशन तथा संशोधन किए जाने वाले समुदाय का परीक्षण करेगा। तदोपरांत आयोग उस क्षेत्र मे जाकर वस्तु स्थिति पर रिपोर्ट आयोग के समक्ष टिप्पण (comment) के लिए रखेगा।

15.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 2	अपील (सिविल) सं0 13700/1996–अखिल भारतीय इण्डियन ओवरसीज बैंक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया और अन्य मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिनांक 31.10.1996 मे फैसला दिया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को सरकार के आदेशो को कार्यान्वयन से रोकने की शक्ति नहीं हैं–अग्रिम कार्यवाई सुनिश्चित करने हेतु।
Agenda Note Item No. II	Apex Court decision dated 31.10.1996 in Appeal (Civil) No. 13700 of 1996 in the matter of All India Indian Overseas Bank SC&ST Employees Welfare Assn. and Ors Vs Union of India and Ors regarding NCST has no power to direct withholding of the operation of any orders issued by the Government – to decide further course of action.

2.1 माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के उपरान्त कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मत्रांलय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन सख्यां 36036/2/97–स्था (आर) दिनांक 1/1/1998 "अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन" के सम्बन्ध मे सभी मत्रांलयो/विभागो तथा अन्य सबंधित एजेंसियों को अनुपालना हेतु जारी किया, जो निम्नवत है।

इस विभाग के का.ज्ञा. सं• 36011/15/79–स्था (एससीटी) दिनांक 6 जनवरी, 1981 के संदर्भ मे, यदि अन्य मंत्रालय/विभाग, कार्मिक विभाग द्वारा उल्लिखित नीतियों से पृथक होना चाहते हैं तो उनको व्यवसाय नियमावली लेन–देन के नियम 4 के उपनियम 4 के संदर्भ में, कार्मिक विभाग से परामर्श करना आवश्यक है, अन्यथा कार्मिक विभाग द्वारा उल्लिखित नीतियां उन पर बाध्यकारी होती है।

2 इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 2 जुलाई, 22 जुलाई, 13 अगस्त और 29 अगस्त, 1997 में समाविष्ट निर्देश प्रचलन में रहेंगे और उनके कार्यान्वयन को प्रास्थगन में रखने अथवा रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

15.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3 अखिल भारतीय इण्डियन ओवरसीज बैंक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया और अन्य (1996 की सिविल अपील सं0 13700); उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को व्यादेश को स्वीकृत करने की शक्ति नहीं हैं चाहे स्थायी हो अथवा अस्थायी। न्यायालय ने यह भी फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 338(8) के संदर्भ में आयोग की शक्तियॉ मामलें में जॉच एवं पूछताछ के उद्देश्य के लिए सिविल न्यायालय की सभी प्रकियात्मक शक्तियां हैं और केवल सीमित उद्देश्य के लिए।

4 पैरा 3 में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को सरकार द्वारा जारी किसी आदेश के प्रचालन को सीधे रोकने की शक्ति नहीं है।

5 अतः कृषि मंत्रालय, इत्यादि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के साथ निपटान करते समय उपर दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय और इस विभाग के का.ज्ञा. दिनांक 06.01.1981 में समाविष्ट निर्देशों को ध्यान में रखें। त्थापि, मंत्रालय/विभाग इत्यादि को अवश्य ही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिए गए नीतियों को ध्यान में रखते हुए आयोग की सिफारिशों पर स्वच्छता से विचार करेंगे।

2.2 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के निर्देशो को पालन करते हुए आयोग, मामले मे जांच के बाद अपनी संस्तुति संबधित विभाग को उचित कार्यवाही हेतु भेजता है। परन्तु, आयोग की सलाह/ संस्तुति पर संबधित एजेसियों/विभागों द्वारा अनुपालना न करके आयोग की सलाह/ संस्तुति को उच्च न्यायालयों मे चुनौती के लिए पहुॅच रहे हैं। उच्च–न्यायालयो मे आयोग की सलाह/ संस्तुति के विरूद्ध वाद (Petition) दायर करना अत्यन्त गंभीर विषय है।

15.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2.3 अनुसूचित जनजातियां पिछड़े समुदायों में से अत्यंत पिछडी एंव संवेदनशील है। सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के दृष्टि कोण से अनुसूचित जनजातियो का स्तर काफी पिछडा है। अतः इनके सामाजिक–आर्थिक कल्याण तथा शैक्षणिक विकास के लिए संविधान मे प्रावधान किये गए है। संविधान मे किए गए प्रावधानो के सुरक्षणों के लिए आयोग की स्थापना की गई है।

2.4 आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 क के खण्ड (5) (ख) के अंतर्गत बडी संख्या मे विशेष कर सर्विस मामलों से सम्बन्धित (अनुशासनात्मक कार्यवाही, निलंबन, तरक्की/आरक्षण रोस्टर नियमों का पालन न करना, दण्डित करना, नियुक्ति मे देरी करना तथा उत्पीडन इत्यादि) मामलो पर छान–बीन/जानकारी प्राप्त करता है। यह पाया गया है कि बहुत से मामलों में प्राधिकारी के पक्षपात के कारण अनुसूचित जनजातियो के व्यक्तियो/ कर्मचारियों को दंड़ित/पदच्युत/ उत्पीडन/ निलंबन (सेवा संबंधी मामलो मे) किया जाता है और वे कष्ट उठाते है।

2.5 आयोग ने उपरोक्त विषय पर चर्चा कि तथा यह निर्णय लिया कि निम्नलिखित बिंदुओ के अनुपालना हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सलाह दी जाए कि वे इस संबन्ध मे सभी विभागो/मंत्रालयो तथा संबधित अभिकरणो को लिखें:–

(1) अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी पर किसी भी तरह की बड़ी सजा/दण्ड देने से पहले, जांच करने तथा सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जनजाति व्यक्ति न्याय से वंचित न हो, संम्बन्धित विभाग/ एंजेसी द्वारा एक समिति स्थापित/ गठित की जानी चाहिए जिसमे कम से कम दो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो। यदि जॉच के लिए संबधित विभाग मे अनुसूचित जनजाति के अधिकारी उपल्बध नही है तो समिति मे अन्य विभागो के अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को शामिल किया जाए। जिससे अनुसूचित जनजातियो के कर्मचारियो को सर्विस मे संरक्षण मिल सके।

(2) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्यालय ज्ञापन सख्यां 36036/2/97–स्था (आर) दिनांक 1/1/1998 के तारतम्य मे सभी मंत्रालयो/विभागो तथा संबधित एजेसियो को निर्देश जारी करे कि आयोग की सलाह/ संस्तुति पर आवश्यक कार्यवाई करे। यदि कार्रवाई करने मे कोई समस्या आती है तो उच्च–न्यायालय/उच्चतम–न्यायालय जाने से पूर्व सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग की अनुमति/सलाह अवश्य प्राप्त करें।

15.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 3	बिना लाइसेंस एवं गैर कानूनी पटाखा बनाने वाली यूनिट– आग और विस्फोट 14 मजदूरों की मौत–श्री के.आर. रेड्डी, अधिवक्ता, नेल्लौर (आन्ध्र प्रदेश) से प्राप्त दिनांक 10.1.2017 का अभ्यावेदन।
Agenda Note Item No. III	Unlicensed & illegal cracker making Unit-Fire blast – death of 14 labours – a representation dated 10.1.2017 received from Shri K.R. Reddy, Advocate, Nellore (Andhra Pradesh)

3.1 श्री के.आर. रेड्डी, अधिवक्ता, नेल्लौर (आन्ध्र प्रदेश) ने अभ्यावेदन दिनांक 10.1.2017 द्वारा उपरोक्त विषय पर आयोग को कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना की। आयोग ने मामले में तथ्यों की सूचना तथा की गई तथा की जाने वाली कार्यवाही की सूचना जानने हेतु पुलिस महानिदेशक, आध्रप्रदेश सरकार, जिला कलेक्टर–जिला नैल्लौर तथा पुलिस अधीक्षक, जिला नेल्लौर को दिनांक 10.2.2017 द्वारा नोटिस भेजा।

3.2 कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, एसपीएस, नेल्लौर जिला ने नेल्लौर शहर, एसपीएस नेल्लौर जिला (आध्रप्रदेश) के पोरलुकट्टा क्षेत्र के अनाधिकृत पटाखा निर्माण ईकाई में दिनांक 31.12.2016 को घटित आग लगने की दुर्घटना में दिनांक 25.4.2017 के पत्र द्वारा विस्तृत रिपोर्ट आयोग को भेजी।

3.3 उक्त पत्र में बताया गया दुर्घटना में, दो लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, 14 घायल हुए (14 घायलों में से 12 की बाद में मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई एवं एक अन्य व्यक्ति का उपचार चल रहा है) और दो व्यक्ति लापता है।

3.4 इस प्रकरण में नेल्लौर 3 टाउन पुलिस थाना नेल्लौर शहर में 31.12.2016 को भारतीय दंड़ संहिता की धारा 304, 307, 286 और विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(ख) के अंतर्गत 2017 का अपराध संख्या 220 के रूप में दर्ज किया गया। इस मामलें में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(5) को दिनांक 16.1.2017 को जोड़ा गया।

3.5 पत्र में बताया गया कि दिनांक 9.2.2017 के पत्र द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूंचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत विचारण के लिए विशेष न्यायालय नेल्लौर के विशेष लोक अभियोजक से यह विधिक राय रखने के लिए निवेदन किया गया कि दिनांक 29.8.2016 के जी.ओ. एमएस संख्या 95, समाज कल्याण (सीवी अत्याचार निवारण) विभाग के अनुसार इस मामले में पीड़ितों/पीड़ितों

15.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

के विधिक उत्तराधिकारियों के लिए क्या राहत उपाय किए जाने हैं। अभियोजनों के उप निदेशक और अपर लोक अभियोजक, ग्रेड–1 और विशेष लोक अभियोजक, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति मामलों के लिए विशेष न्यायालय, नेल्लौर ने दिनांक 15.2.2017 को राय दी है कि मृतक एवं घायल राहत के हकदार हैं और दिनाक 29.8.2016 के जी.ओ. एमएस संख्या 95, समाज कल्याण (सी वी अत्याचार निवारण) विभाग के क.स 40 और नियम 12(4) के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिसट्रेट, अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवारों के सदस्यों और आश्रितों के लिए नकद या अन्य प्रकार की या दोनों रूपों में तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करेंगे।

3.6 प्रशासन ने तत्काल चिकित्सा सहायता, बर्तन, रोजगार, प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रूपए अनुग्रह राशि प्रदान किया है

3.7 आयुक्त, नगर निगम, नेल्लौर ने मृतकों (14) के परिवारों के सदस्यों के श्री साई हनुमान कामगार कल्याण सोसायटी के माध्यम से वाह्य स्रोत आधार पर सफाई कर्मियों के रूप में नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए है।

3.8 तहसीलदार, नेल्लौर ने परियोजना निर्देशक, आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड, नेल्लौर को मृतकों और घायल व्यक्तियों के परिवारों को मकानों की स्वीकृति के लिए सिफारिश करते हुए पत्र लिखा है।

3.9 जिला प्रषासन ने सूचित किया है कि दिनांक 29.8.2016 के जी.ओ. एमएस स. 95, समाज कल्याण (सीवी अत्याचार निवारण) विभाग में निर्धारित प्रकिया के अनुसार पीड़ितों/पीड़ितों के विधिक उत्तराधिकारियों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के अंतर्गत आर्थिक सहायता की स्वीकृति के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

3.10 राजस्व (आपदा प्रबंधन–II) विभाग, आंध्रप्रदेश सरकार ने दिनांक 13.2.2017 के आदेश द्वारा प्रत्येक परिवार को रूपए 10 लाख की दर से मृतक व्यक्तियों के भुगतान करने के लिए अनुग्रह राशि के रूप में 140 लाख रूपए की राशि जारी की है और उक्त राशि को आहरित करने के निदेशक, जनजातीय कल्याण, आंध्रप्रदेश, विजयवाड़ा को प्राधिकृत किया है। निदेशक, जनजातीय कल्याण, आंध्रप्रदेश ने उक्त राशि को

15.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आहरित करने एवं 14 मृतकों के परिवारों को 5 लाख रूपए प्रति परिवार की दर से अनुग्रह के रूप में भुगतान करने एवं 70 लाख रूपए को शेष राशि को 5 लाख रूपए प्रति मृतक की दर से वितरित करने का निवेदन किया है।

3.11 उक्त तथ्यों तथा मामले मे की गई कार्यवाई के दृष्टिकोण से कलेक्टर एवं मजिस्ट्रैट, जिला–एस.पी. एस नेल्लौर ने मामले को बंद करने का निवेदन किया।

3.12 कलेक्टर एवं मजिस्ट्रैट, जिला–एस.पी.एस नेल्लौर के द्वारा की गई कार्यवाही से आयोग अवगत हुआ ~~और प्रकरण बंद करने का निर्णय लिया।~~ 15.06.17

कार्यसूची मद संख्या. 4	माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के अलग–अलग राज्यों/संघ शाति प्रदेशों के क्षेत्रीय दौरों/दौरा रिपोर्टों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (मुख्यालय) और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एकरूप प्रपत्र तैयार करने के संबंध में।
Agenda item No. 4	Format for containing the gist of the field visits/tour reports to be used by the Hon'ble Chairperson, Vice-Chairperson and Members of NCST.

4.1 माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के अलग–अलग राज्यों/संघ शाति प्रदेशों के क्षेत्रीय दौरों/दौरा रिपोर्टों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (मुख्यालय) के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को समर्थ बनाने के लिए यह प्रस्ताव किया गया कि विनिर्दिष्ट सिफारिशों जिन पर अनुवर्ती कार्यवाही की जानी आवश्यक है के साथ–साथ क्षेत्रीय दौरों/दौरा रिपोर्टों में मुख्य बिंदुओं को शामिल करते हुए एक प्रपत्र तैयार किया जाए। क्षेत्रीय दौरों/दौरा रिपोर्टों के सार को समाविष्ट करने वाले इस प्रपत्र का उपयोग कार्यालय में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए किया जाएगा। तथापि, दौरा डायरी और फोटोग्राफ का वर्तमान चलन दौरा रिपोर्ट के अतिरिक्त कागजातो के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं।

4.2 दौरा/दौरों रिपोर्ट हेतु एकरूप प्रपत्र पर माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों ने स्वीकृति प्रदान की है।

15.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद संख्या 5 **Agenda Item No. 5**	नई दुनिया समाचार पत्र मे दिनांक 28.5.17 को प्रकाशित समाचार शीर्षक "पोरियाहूर के दो कुपोषित बच्चे अस्पताल में भर्ती" (जिला कांकेर, छत्तीसगढ) के संबंध में News item published on 28.5.2017 in Nai Duniya news paper caption "Two Children of Puriyahur admitted in hospital due to mal nutrition" (Distt- Kanker, Chhattisgarh)

5.1 आयोग ने नई दुनिया समाचार पत्र में दिनांक 28.5.17 मे प्रकाशित खबर, जिला–कांकेर, विकास खण्ड–कोयलीबेड़ा, ग्राम पंचायत–माचपल्ली के आश्रित गांव पोरियाहूर में दो कुपोषित बच्चे अस्पताल में भर्ती, समाचार से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया, पर संज्ञान लिया तथा विचार–विमर्श किया।

5.2 कुपोषण पर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कियान्वयन पर अध्ययन कराने की आवश्यकता है जिससे मूल समस्याओं का निराकरण करने में सरकार को उपाय मिल सकेगे। प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, संचार तथा सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी समीक्षा करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। आयोग ने निर्देश दिया कि मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई जाए।

कार्यसूची मद संख्या 6 **Agenda Item No. 6**	टाइम्स आफ इंड़िया समाचार पत्र मास मई, 2017 में प्रकाशित समाचार "तमिलनाडु के अनुसूचित जनजाति के लोग गुफाओं में जाने को मजबूर" (ग्राम पन्नापटी समीप पैन्ना ग्राम, जिला–धर्मपुरी) के संबंध में News item published in Time of India news paper of May, 2017 caption "TN tribals forced back to caves" (Village-Pannappatty near Pannagaram, Distt-Dhramapuri)

6.1 टाइम्स आफ इंड़िया समाचार पत्र मास मई, 2017 में प्रकाशित समाचार "तमिलनाडु के अनुसूचित जनजाति के लोग गुफाओं में जाने को मजबूर" (ग्राम– पन्नापटी समीप पैन्ना ग्राम, जिला–धर्मपुरी), जिसमें

15.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कहा गया है कि वन विभाग ने 1990 में जिला धर्मपुरी में अनुसूचित जनजातियों के लिए गांव में 30 मकान बनाए थे। उपरोक्त मकान पांच साल में ही ढहने शुरू हो गए थे तथा मकानों की स्थिति काफी दयनीय है। इसी के कारण निवासियों ने मकान छोड़ दिए और पास की गुफाओं में रहने लगे हैं।

6.2 उपरोक्त विषय पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए बैठक में चर्चा की तथा निर्देश दिया कि तमिलनाडु राज्य सरकार से मामले की वास्तविक स्थिति तथा की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट मंगवाई जाए।

5.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(नन्द कुमार साय)

अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग